कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर (राज.)

क्रमांकः जि.वि.से.प्रा./जालोर/संविदा सेवा/2025/०। दिनांक–10.2.2025

:: विज्ञप्ति ::

श्रीमान् सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ 07/(136) रालसा/संस्था/संविदा सेवा–वाहन/2025/26409–26413 दिनांक 04.02.2025 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.2.2018 एवं 14.11.2018 की पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर एवं तालुका विधिक सेवा समिति, भीनमाल, सांचौर एवं रानीवाड़ा हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्वीकृत नियमित रिक्त पदों के विरूद्ध राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की स्वीकृति अनुसार न्याय विभाग/राज्य सरकार के विभागों से सेवानिवृत्त अथवा प्रतिनियुक्ति पर तात्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत करते हुए, जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर वित्तीय वर्ष, 2025–26 (दिनांक 31.03.2026 तक) अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (दोनों में से जो भी पहले हो) की कालावधि के लिए प्राथमिकता के आधार पर सेवाएं लिये जाने हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन संलग्न प्रारूप में निम्नानुसार आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं–

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर	04 (चार)
2	तालुका विधिक सेवा समिति, भीनमाल	01 (एक)
3	तालुका विधिक सेवा समिति, सांचौर	01 (एक)
4	तालुका विधिक सेवा समिति, रानीवाड़ा	01 (एक)
	कुल	**07 (सात)**

नियम एवं शर्तें–

1. राज्य सरकार के विभागों से विपरीत प्रतिनियुक्ति पर वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के परिपत्र क्रमांक प.1(2)/वित्त/नियम/2003 पार्ट–I दिनांक 17.2.2007 एवं परिपत्र क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/2003 पार्ट–I दिनांक 16.01.2015 के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के तहत देय होगा।
2. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारीग को 15 दिवस के वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे तथा वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिये मासिक पारिश्रमिक का 01/30 वां भाग काटा जायेगा।
3. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।
4. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. राज्य सरकार के विभागों के कार्यरत कर्मचारीगण विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन–पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेजों के आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेंगे। उक्त संविदा सेवाएं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं राज्य सरकार के प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी।
6. न्याय विभाग अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों से ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो, वे कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन–पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेजों के प्रस्तुत करेंगे। उक्त सभी संवर्गो की सेवाएं राज्य सरकार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आदेशो/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी।

Deputation or Reverse Deputation पर आने वाले कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से अपना आवेदन कर सकेंगे।

अतः सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संवर्ग में सेवाएं देने के इच्छुक व्यक्ति वांछित दस्तावेजों के साथ दिनांक 17.02.2025 को दोपहर 02.30 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर सकते है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन–पत्र https://jalore.dcourts.gov.in/ की वेबसाईट से डाउनलॉड किये जा सकते है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे जिला न्यायालय, जालोर की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें। आवेदन व्यक्तिशः जमा करवा सकते है अथवा इस कार्यालय की ईमेल dlsa20jalore@gmail.com पर भी प्रेषित कर सकते है।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज (यदि लागू हो) संलग्न किये जाने आवश्यक हैं–

1. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की स्वप्रमाणित प्रति।
2. अन्तिम भुगतान प्रमाण–पत्र (एल.पी.सी.) की प्रति।
3. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
4. पी.पी.ओ. की स्वप्रमाणित प्रति।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला न्यायाधीश)
जालोर

लगातार पृष्ठ....02 पर

क्रमांकः जि.वि.से.प्रा. / जालोर / संविदा सेवा / 2025 / 706-713 दिनांक–10.2.2025

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला एवं सेशन न्यायालय, जालोर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. जिला कलेक्टर कार्यालय, जालोर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, भीनमाल / सांचौर / रानीवाड़ा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. सिस्टम ऑफिसर, डी.जे. कोर्ट, जालोर को जिला न्यायालय की विभागीय वेबसाईट पर अपलॉड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली, कार्यालय हाजा।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला न्यायाधीश)
जालोर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर (राज.)

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में संविदा/पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये आवेदन का प्रारूप–

(1) सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम – .....

(2) पिता/पति का नाम – .....

(3) जन्म तिथि – .....

(4) पूर्ण पता – .....

(5) अर्हताएं – .....

(6) मूल विभाग का नाम – .....

(7) सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद – .....

(8) अनुभव – .....

(9) सेवानिवृति के समय मूल वेतन (रनिंग पे–बेण्ड वेतन+ग्रेड–पे) (एल.पी.सी. संलग्न हैं) – .....

(10) मूल पेंशन राशि (पीपीओ प्रति संलग्न हैं) – .....

(11) धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृति के समय) – .....

(12) विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र– (संलग्नानुसार हैं) – .....

– सेवानिवृत कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के लिये वचनबंध –

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दी गई शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक हैं। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बन्धनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :

दिनांक :

सेवानिवृत्त कर्मचारी के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 1 से 12 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती.....पुत्र/पत्नि..... जो सेवानिवृति से पूर्व.....पद पर विभाग में कार्य कर रहा था/थी, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती.....की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती..... रूपये मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन+ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/ श्रीमती.....अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती .....के विरूद्व कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्व ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर (राज.)

राज्य सरकार के सेवारत कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदात्मक विपरीत प्रतिनियुक्ति सेवाएं लेने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप

1. सेवारत कर्मचारी का नाम – .....
2. पिता/पति का नाम – .....
3. जन्म तिथि – .....
4. पता मय मोबाईल नम्बर – .....
5. आयु (दिनांक 01.3.2025 को) – .....
6. शैक्षणिक एवं तकनीकी अहर्ताएं – .....
7. मूल विभाग का नाम – .....
8. मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन+ग्रेड पे) – .....
9. धारित पद का वेतनमान – .....
10. विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र (संलग्नानुसार) – .....

सेवारत कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबन्ध

अद्योहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवारत कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तों के अनुसरण में राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का ईच्छुक हैं। अद्योहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबन्ध के उक्त निर्बधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता हैं।

स्थान :.....

दिनांक :.....

सेवारता कर्मचारी के हस्ताक्षर

:: विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र ::

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या–01 से 10 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री.....पुत्र श्री..... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री.....की सेवा और व्यवहार सन्तोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री..... रूपये मासिक मूल वेतन.....(रनिंग पे बैण्ड वेतन+ग्रेड पे) आहरित कर रहा था और कि श्री.....चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया है और श्री.....के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदौन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर